सं0 274/43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग –2 लखनऊः दिनॉक 09 मार्च 2010

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंर्तगत ''सूचना'' की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 2(f) में सूचना की परिभाषा का उल्लेख है।

2– भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/7/2009–आई.आर., दिनांक 01 जून, 2009 द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया है :–

''सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मॉग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।''

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।